न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील प्रकरण संख्या :– 62/2021

1. वंश यादव पुत्र श्री मालचन्द यादव जाति अहिर आयु 05 नाबालिक जरिये संरक्षक पिता मालचन्द यादव पुत्र श्री ग्यारसीलाल यादव जाति अहिर आयु 25 वर्ष निवासी ढाणी बागावाली तन पंडितपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 4754 ग्राम पावटा तहसील पावटा खारिज निर्णय दिनांक 13/8/2021 द्वारा तहसीलदार तहसील पावटा जिला जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 29.12.2021

नामान्तरकरण संख्या 4754 वाके ग्राम पावटा तहसील पावटा खारिज निर्णय दिनांक 13/8/2021 द्वारा तहसीलदार तहसील पावटा से व्यथित होकर अपीलान्ट ने उक्त खारिज निर्णय के विरूद्व अपील पेश की है, जिसमें अपीलान्ट की ओर से अपील निम्नभांति पेश की गयी है :–

1. यह है कि ग्राम पावटा के आराजी हाल खसरा नम्बर 505/2475/0.11 में हिस्सा 933/1100 के खातेदार सुरजा पुत्र साधुराम जाति अहिर निवासी ग्राम कुनेड तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान से उसका सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय–पत्र 21/12/2020 को अपीलान्ट ने कय किया था जिसके आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नामा.सं. 4754 दर्ज किया है।
2. यह है कि नामा.सं. 4754 पर पटवारी हल्का ने टिप्पणी करते हुये मौके पर आंशिक भूमि को आवासीय उपयोग में होना बताया भू0अ0 निरीक्षक ने अपनी टिप्पणी में विकित भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ में ना दर्शाकर आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में दर्शाया जिस पर रेस्पोडेन्ट ने विकित भूमि को आवासीय भूमि दर्शाकर नामा.सं. 4754 को दिनांक 13/8/2021 को अपीलान्ट को बिना किसी सूचना दिये खारिज फरमा दिया ।
3. यह है कि विकित सम्पूर्ण भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही है। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक द्वारा सोची समझी चाल से उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी की है जो निराधार एवं अवैधानिक तरिका अपनाया है, जिस पर रेस्पोडेन्ट ने विश्वास कर नामा.सं. 4754 को खारिज कर दिया गया।
4. यह है कि अपीलान्ट के खिलाफ कोई भी निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त विवादित निर्णय प्रार्थी

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

को बिना सुने व बिना सूचना दिये उसकी अनुपस्थिति में पारित किया गया है। इसलिए उक्त निर्णय विधि की दृष्टि से निरस्तनीय है।

5. यह है कि विकित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में आते हुये भी रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा बिना किसी आधार के आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शा कर अपीलान्ट को कोई सूचना दिये बिना नामा. को खारिज करना अपीलान्ट के विधिक अधिकारों के खिलाफ है। अतः रेस्पोडेन्ट के खारिजी निर्णय दिनांक 13/8/2021 निरस्तनीय है, जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

6. यह है कि नामा.सं. 4754 में पारित निर्णय 13/8/2021 से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है उनकी वंश किमती भूमि का हिस्सा समाप्त हो गया है, जिन्हें निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के अधिकारों को सुरिक्षत रखने हेतु अपीलान्ट को विकित भूमि का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

7. यह है कि नामा.सं. 4754 के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पहली बार दिनांक 28/12/2021 को नामा. व जमाबंदी की प्रतिलिपि देखने से हुयी। इससे पूर्व अपीलान्ट को नामा. के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी और जानकारी होते ही बिना देरी के श्रीमान् अदालत के यहां अपील प्रस्तुत कर दी है। अपीलान्ट को दिनांक 28/12/2021 जानकारी से पूर्व की देरी को कन्डोन करने हेतु अलग से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के संलग्न पेश किया है।

8. यह है कि विवादित भूमि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय जिसे दुरूस्त करने का अधिकार श्रीमान् को प्राप्त है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पावटा तहसील पावटा के नामा.सं. 4754 खारिज निर्णय दिनंक 13/8/2021 को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नामा.सं. 4754 वाके ग्राम पावटा तहसील कोटपूतली को स्वीकार करने का आदेश दिया जावें।

9. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट की तल्बी की आवश्यकता नहीं होना जाहिर करते हुये उक्त अपील में बहस अपीलान्ट सुनी गयी।

10. बहस अपीलान्ट सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये अभिकथन किया है कि ग्राम पावटा में स्थित भूमि ख.नं. 505/2475/0.11 में हिस्सा 933/1100 के खातेदार सूरजा पुत्र साधूराम जाति अहिर निवासी ग्राम कुनेड तहसील पावटा से उसका सम्पूर्ण हिस्सा जरिये विकय–पत्र से अपीलान्ट द्वारा दिनांक 21/12/2020 को कय किया था विकय–पत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामा.सं. 4754 दर्ज किया गया। उक्त नामा. पर पटवारी हल्का ने मौके पर आंशिक भूमि को आवासीय उपयोग में होना बताया तथा भू.अ. निरीक्षक द्वारा विकित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ ना दर्शा कर आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग में दर्शाया गया जिस पर रेस्पोडेन्ट ने विकय की गयी भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ की टिप्पणी कर उक्त नामा.सं. 4754 दिनांक 13/8/2021 को बिना किसी सूचना के खारिज कर दिया जबकि अपीलान्ट को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक की टिप्पणी उक्त नामा. पर की गयी है वह

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

निराधार है, जिस पर विश्वास करते हुये रेस्पोडेन्ट ने उक्त नामा. को खारिज किया है वह विधि के अनुरूप नहीं है। अपीलान्ट को कोई सूचना दिये बिना नामा. को खारिज करना अपीलान्ट के विधिक अधिकारों के विपरीत है। उक्त नामा. 4754 खारिजी आदेश 13/8/2021 से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तथा अपीलान्ट की बेशकिमती भूमि का हिस्सा समाप्त हो गया है, जबकि रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये रेस्पोडेन्ट को उक्त नामा. स्वीकार करना चाहिए था । उक्त नामा. निरस्त होने की जानकारी दिनांक 28/12/2021 को प्रतिलिपि देखने से हुयी है। इससे पूर्व जानकारी के अभाव में कन्डोन किये जाने बाबत प्रार्थना-पत्र दफा-5 मियाद अधिनियम का अपील के संलग्न पेश है। रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का व भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट पर विश्वास कर उक्त नामा. को खारिज किया है जो न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है। अतः नामा.सं. 4754 खारिज आदेश 13/8/2021 को अपास्त कर नामा.सं. 4754 वाके ग्राम पावटा को स्वीकार कराने के आदेश प्रदान करें।

चूँकि पत्रावली के अवलोकन करने से दिनांक 21/12/2020 को सूरजा पुत्र साधूराम ग्राम निवासी कुनेड तहसील पावटा द्वारा अपीलान्ट को आराजी ख.नं. 505/2475/0.11 का हिस्सा 933/1100 सम्पूर्ण हिस्सा जरिये विकय-पत्र से अपीलान्ट को विकय करना पाया गया। विकय-पत्र के मुताबिक नामा.सं. 4754 दिनांक 10/3/2021 वाके ग्राम पावटा का भरा गया । उक्त नामा. पर पटवारी हल्का ने मौके पर आंशिक भूमि आवासीय उपयोग में होने का अंकन किया है तथा भू.अ.निरीक्षक द्वारा विकित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ नहीं होकर आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में है नामा. खारिज योग्य है टिप्पणी की है। तहसीलदार पावटा द्वारा उक्त नामा. पर उक्त ख.नं. आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में आने एवं पटवारी हल्का व भू.अ.निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार किया है जो न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से उक्त आराजी को कय किया है। उक्त भूमि को कय करने के उपरान्त भी अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामा. को खारिज करने से पूर्व उसकी पूर्ण जांच करनी चाहिए थी केवल पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उक्त नामा. को खारिज किया है वह विधि संगत नहीं है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामा.सं. 4754 वाके ग्राम पावटा तहसील पावटा जयपुर खारिजी आदेश 13/8/2021 द्वारा तहसीलदार पावटा जिला जयपुर को अपास्त किया जाकर नामा0सं. 4754 को स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

12. यह निर्णय आज दिनांक 29.12.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त [illegible] (जयपुर)
कोटपूतली (जयपुर)